

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाइ (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजीनामा प्रपत्र

सेवामें, कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र.....डि.प.ए.एल.....

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महादेय, डि.प.ए.एल. अधिकारी निवाइ दिनांक 17-5-18

प्रकरण संख्या :- 126/2016 अन्तर्गत धारा 188

महोदय, उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री डो. म. सु. का. श. का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:-

हम वादी व प्रतिवादी के इस बात पर सहमत हैं
कि हम एक-दूसरे की श्रेणि में किसी प्रकार की बाधा
मजामत नहीं करेंगे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष 1. डो. म. सु. का. श.
- 2.
- 3.
- 4.

- प्रतिवादी पक्ष 1. गोपाल
- 2. अप्रार्थी
- 3. राजेश कुमार
- 4.

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....
(वादी पक्ष) नाम.....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर.....
(प्रतिवादी पक्ष) नाम.....

प्रार्थी/वादी.....डो. म. सु. का. श...... एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी.....गोपाल, अनार्थी, शमशेर.....

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

31/5/18
पीठासीन अधिकारी
अ.प.ए.एल. कोर्ट

मूल वद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., निवाड़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाड़

उनवान रामप्रकाश बनाम गोपाल

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 1261/2016

निर्णय दिनांक :- 17.5.18

वादी की ओर से रामप्रकाश की व प्रतिवादी की ओर से गोपाल बनवारी रामप्रकाश की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.5.18 को हरिजन कुमारी (नाम पीठासीन अधिकारी) R.A.S.

के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

प्रतिवादी गण को पावन खिया जमा दे हि वादवर्षित भूमि ख.नं. 2/15 रकबा 06-00 बीघा वार्ड ग्राम डंगूरखल में खिया उकार की बाधा समाप्त नहीं करे। पावन रहे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

31/5/18
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाड़
कम 110 51332 4/18

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदेशों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4.रुपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाड़